# न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

## बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण सं.–05/2015**

## उनवान

1– घीसा पिता सांवता जाट निवासी जूना गुलाबपुरा, तहसील हुरडा ।

–वादी

## बनाम

1– भँवरी बेवा श्रवण जाट, निवासी जूना गुलाबपुरा , तहसील हुरडा ।
2– कमलेश पिता श्रवण जाट ना.बा. बजरिये माता भँवरी बेवा श्रवण जाट निवासी जूना गुलाबपुरा , तहसील हुरडा ।
3– अशोक पिता लादू जाट ना.बा. बजरिये माता कुसुमी बेवा लादू जाट निवासी जूना गुलाबपुरा , तहसील हुरडा ।
4– मुकन्दर पिता लादू जाट ना.बा. जरिये माता कुसुमी बेवा लादू जाट निवासी जूना गुलाबपुरा , तहसील हुरडा ।
5– इन्द्रा पिता लादू जाट , निवासी जूना गुलाबपुरा , तहसील हुरडा ।
6– कुसुमी बेवा लादू जाट, निवासी गुलाबपुरा , तहसील हुरडा ।
7– शिवराज पिता रामा जाट , निवासी जूना गुलाबपुरा तहसील हुरडा ।
8– रामधन पिता रामा जाट, निवासी जूना गुलाबपुरा तहसील हुरडा ।
9– कैलाश पिता रामा जाट, निवासी जूना गुलाबपुरा तहसील हुरडा ।
10 मु0 गोपाली बेवा रामा जाट ,नि0 जूना गुलाबपुरा, तहसील हुरडा ।
11 छगना पिता तोलाराम जाट, निवासी जूना गुलाबपुरा तहसील हुरडा
12 प्रभु पिता उगमा जाट , निवासी जूना गुलाबपुरा तहसील हुरडा ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री मोहम्मद निशार, वकील वादी ।
श्री गोतम कुमार बम्ब वकील प्रतिवादी 1 से 12

कलेक्टर
गुलाबपुरा

## वादपत्र अर्न्तगत धारा–183, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

## –: निर्णय :–

दिनांक– 18.06.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा गुलाबपुरा प्रथम पटवार हल्का हुरडा नगरा तहसील हुरडा में वादी व प्रतिवादी नम्बर– 1 से 5 के दादा पन्ना, प्रतिवादी नम्बर– 6 के ससुर पन्ना, प्रतिवादी नम्बर– 7 से 10 के पिता/ पति रामा, प्रतिवादी नम्बर–11 छीतर, प्रतिवादी नम्बर– 12 प्रभु के नाम पर आराजी

Scanned by CamScanner

नम्बर– 766 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है ।

2– प्रतिवादी नम्बर– 1 से 6 के दादा/ससुर पन्ना प्रतिवादी नम्बर– 7 से 10 के पिता / पति राना, प्रतिवादी नम्बर– 11 को 9/16, प्रतिवादी नम्बर– 12 का 3/16 व वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से से दर्ज स्थित है ।

3– प्रतिवादी नम्बर– 1 से 12 का वादी के 1/4 हक हिस्से से कोई लेना देना नही है लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करने की नियत से वादी को दिनांक 10.06.2008 में बेदखल कर अपना आधिपत्य कर लिया जो उक्त आराजी पर अभी वो अतिक्रमी की हेसियत से काबिज है तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी को फसल काश्त करने में परेशानी करते है तथा उसके साथ लडाई झगडा करते रहते है ।

4– वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त अराजीयात से अपना कब्जा हटाकर पुनः वादी को कब्जा देने तथा उसके 1/4 हक हिस्से पर फसल काश्त करने बाबत कई बार कहा जिस पर वो टालाटूली का जवाब देते आ रहे व दिनांक 15.11.2014 को जब वादी हिम्मत करके अपनी आराजी पर गया तो उक्त प्रतिवादीगण मरने मारने पर उतारु हुये व कब्जा देने से मना कर दिया इसलिये उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की नोबत पेश आई ।

5– प्रतिवादी का उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होने से व बाद न्यायालय से कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त वादी को जबरन बेदखल करने कराने फसल काश्त करने से रोकने इत्यादी से रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादी को अपने हिस्से की 1/4 आराजी से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति कदापित असम्भव है ।

6– वादी बिनाय मुखासमत दावा दिनांक 10.06.2008 व दिनांक 15.11.2014 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

7– अन्त में अंकित किया कि प्रतिवादीगण को आराजी मुतदाविया नम्बर– 766 रकबा 11 बीघा 2 में से वादी के 1/4 हिस्से तक बेदखल कराया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें । बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वो स्वयं या अन्य द्वारा वादी के 1/4 हक हिस्से में (न्यायालय के द्वारा कब्जा दिलाने के उपरान्त) किसी प्रकार की दखलदन्जी , जबरन कब्जा करने फसल काश्त से रोकने से रुके

Scanned by CamScanner

9– तत्पश्चात प्रकरण आज कैम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुआ। वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 के दादा पन्ना प्रतिवादी संख्या– 7 से 10 के पिता रामा व छीतर, प्रभु के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है , जिसमें पन्ना, रामा, छगना का 9/16 हिस्सा प्रभु का 3/16 तथा वादी का 1/4 हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से से काबिज काश्त चले आ रहे है । वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि प्रतिवादीगण का वादी के 1/4 हक हिस्से की आराजीयात से कोई लेना –देना नही है फिर भी वो जबरदस्ती सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करने की नियत से वादी को दिनांक 10.06.2008 में बेदखल कर अपना आधिपत्य कर लिया है और वह उक्त आराजी पर अतिक्रमी के हैसियत से काबिज है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी नम्बर– 766 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा में से वादी के 1/4 हिस्से तक बेदखल कराया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

10 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सम्पूर्ण पर कभी भी कब्जा नही किया है, बल्कि माफिक सहमति के आधार पर मौके पर काबिज है। लेकिन वादी ने अपने 1/4 हक हिस्से की जमीन के अतिरिक्त और भी अन्य जमीन पर कब्जा करना चाहता है जिसका उसको कोई हक अधिकार नही है। वकील प्रतिवादी का यह भी कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है तथा जमीन की कीमत बढ जाने से वादी के मन में लालच आ जाने से वह अपने निहित हक हिस्से की आराजीयात से अधिक आराजीयात पर कब्जा करने के लिये लडाई झगडा करता है जिसका वादी को कोई अधिकार नही है । इसलिये वादी को वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत रुप से विभाजन ना हो जाये तब तक वादी को प्रतिवादीगण के हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा न करने के लिये एवं उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

Scanned by CamScanner

रहा है –

12 वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 मौजा गुलाबपुरा प्रथम पटवार हल्का हुरडा मगरा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 766 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा भूमि पन्ना, रामा, छगना पिता तोलाराम 9/16 , प्रभु पिता उगमा 3/16, घीसा पिता सांवता 1/4, जाट साकिन जूना गुलाबपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

13 यहॉ वादी का कथन है वादग्रस्त आराजीयात में उसका 1/4 हक हिस्सा है और उक्त हक हिस्से में प्रतिवादीगण का कोई सरोकार वास्ता नही होते हुये भी प्रतिवादीगण के द्वारा उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजीयात पर कब्जा कर वह वादी के 1/4 हिस्से की आराजीयात पर अधिकमी की हैसियत से काबिज है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कथन है कि जमीनों के भाव बढ जाने से वादी के मन में लालच आ गया है जिससे वह प्रतिवादीगण की जमीन पर भी कब्जा करना चाहता है । चुँकि प्रत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह प्रकट हो की वादी के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो और जमीनों के भाव बढ जाने से वादी अपने हक हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहता हो ऐसी स्थिति में न्यायालय यह निर्णय सूनाया जाना मूनासिब समझता है कि –

## –:निर्णयः–

दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा गुलाबुपरा प्रथम पटवार हल्का हुरडा मगरा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 766 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि वादी के 1/4 हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाये जावें तो उसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादी का सुपुर्द किया जावें तथा वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह अपने हक हिस्से से अधिक भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलन्दाजी करने कराने से रुके रहे । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुली केम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर सजौरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner